

# भागलपुर समाहरणालय

(जिला सामान्य शाखा / शस्त्र शाखा)


(आदेश)

जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-04.09.2020 के आलोक में संचिका संख्या-14-02/2020 पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री अजीत कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, साकिन-मानिक सरकार घाट रोड, थाना-आदमपुर, जिला-भागलपुर के नाम से निर्गत पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-3090-71/2008 पर धारित क्षेत्र भागलपुर से विस्तारित सम्पूर्ण बिहार राज्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शस्त्र पंजी के आधार पर श्री सिंह के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति की विवरणी निम्न है:-


क्र०	शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति सं०	शस्त्र का प्रकार/संख्या	क्षेत्र की वैधता	यू0आई0एन0 नं०
01	श्री अजीत कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, साकिन-मानिक सरकार घाट रोड, थाना-आदमपुर, जिला-भागलपुर।	3090-71/2008	पिस्टल 04778/GSF (IOF)	सम्पूर्ण बिहार	051461001167942018

अतः निदेश है कि आयुध नियम-2016 के नियमों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

  
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
भागलपुर।

ज्ञापांक : 14-02/2020 / .....1584.....सा० भागलपुर, दिनांक ...10-9-20

- प्रतिलिपि :- श्री अजीत कुमार सिंह, पिता-श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, साकिन-मानिक सरकार घाट रोड, थाना-आदमपुर, जिला-भागलपुर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी सरकारी अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, आदमपुर/जोगसर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- D.I.O NIC भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि जिले के वेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बिहार राज्य को सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला दंडाधिकारी बिहार राज्य सूचनार्थ प्रेषित।

  
10/9/2020  
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
भागलपुर।